न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : श्री रोहित कुमार, आर.ए.एस

मुकदमा न0 विविध 827 / 2018

प्रार्थी :–

1. शान्तिलाल पुत्र खीमसिंह जाति राजपुरोहित निवासी सीतली तह0 पचपदरा जिला बाडमेर

बनाम

विप्रार्थी :–

1. नरपतसिंह पुत्र खीमसिह जाति राजपुरोहित
2. परबतसिंह पुत्र खीमसिह जाति राजपुरोहित
3. सुखसिंह पुत्र खीमसिह जाति राजपुरोहित
4. अर्जुनसिंह पुत्र खीमसिह जाति राजपुरोहित
5. भीमसिंह पुत्र खीमसिह जाति राजपुरोहित
6. गुलाबकंवर बेवा खीमसिह जाति राजपुरोहित निवासी सीतली तह0पचपदरा,बाडमेर
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पचपदरा
8. पटवारी, पटवार हल्का कल्याणपुर तहसील पचपदरा
9. मैनेजर, एस.बी.आई शाखा कल्याणपुर

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू0–राजस्व अधिनियम 1956

वास्ते रेकर्ड दुरूस्ती

उपस्थित :– 1. श्री ओमसिंह राजपुरोहित प्रार्थीगण वकील
2 .श्री कपिल श्रीमाली विप्रार्थीगण वकील

सहायक कलेक्टर (S.D.O.) बालोतरा

आदेश

दिनांक :–19 .2.2020

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश कर जाहिर किया कि प्रार्थी व विप्रार्थीगण संख्या 1 से 6 की सयुंक्त पैतृक खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि खेत खसरा संख्या 10 रकबा 4.07 बीघा, खसरा न. 15 रकबा 9.03 बीघा, खसरा न. 17 रकबा 4.16 बीघा, खसरा न. 18 रकबा 17.15 बीघा, खसरा न 20 रकबा 13.01 बीघा, खसरा न. 46 रकबा 6 बीघा, खसरा न. 63 रकबा 6.05 बीघा, खसरा न. 86 रकबा 6.10 बीघा, खसरा न 94 रकबा 4.07 बीघा, खसरा न. 96 रकबा 3.03 बीघा, खसरा न. 104 रकबा 4 बीघा, खसरा न 119 रकबा 6.17 बीघा, खसरा न 135 रकबा 6.10 बीघा, खसरा न.136 रकबा 4.03 बीघा, खसरा न. 137 रकबा 8.09 बीघा कुल रकबा 105.06 बीघा किस्म बा.अ. तथा खसरा नं. 39 रकबा 14.01 बीघा, खसरा न. 58 रकबा 26.03 बीघा व खसरा न 129 रकबा 5.14 बीघा किस्म बा.अ सरहद मौजला सीतली पटवार क्षेत्र कल्याणपुर भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र कल्याणपुर तहसल पचपदरा में स्थित है जिस पर प्रार्थी का संयुक्त रूप से कब्जा काश्त है । प्रार्थी का नाम आधार कार्ड में शान्तिलाल पुत्र खीमसिंह राजपुरोहित दर्ज हे, आयकर विभाग द्वारा जारी पेन कार्ड में

सहायक कलेक्टर (S.D.O.) बालोतरा

Scanned by CamScanner

प्रार्थी का नाम शान्तिलाल पुत्र खीमसिंह राजपुरोहित, स्कूल दस्तावेज व अन्य दस्तावेज में प्रार्थी का नाम शान्तिलाल पुत्र खीमसिंह दर्ज किया हुआ है । वक्त म्युटेशन राजस्व रेकर्ड की जमाबंदी में प्रार्थी का नाम सम्पतसिंह भूल से दर्ज कर दिया गया जबकि सरकारी दस्तावेज के अनुसार प्रार्थी का नाम शान्तिलाल पुत्र खीमसिंह राजपुरोहित दर्ज करना था जो भूलवंश नाम प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के अराजी भूमि के समस्त खसरान में सम्पतसिंह दर्ज कर दिया है, जबकि प्रार्थी का समस्त सरकारी दस्तावेजों में व बैंक खाता, स्कूल दस्तावेज अनुसार शान्तिलाल पुत्र खीमसिंह राजपुरोहित दर्ज होना था जो राजस्व कर्मचारीयों की त्रुटिवश गलत नाम दर्ज कर दिया है जिसका संशोधन करने हेतु प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश किया गया।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र दर्ज कर विप्रार्थीगण को सम्मन दिनांक 2.12.2018 को जारी किया गया । विप्रार्थीगण संख्या 1 ता 6 की और से वकील ने प्रार्थी के सही नाम दर्ज करने हेतु अनापति जाहिर नंही की व प्रार्थी वकील ने विप्रार्थीगण संख्या 8 व 9 को तर्क कर दिया।

दोनो पक्षो की बहस सुनी गयी तथा हमने प्रकरण का गौर से अवलोकन किया एवं प्रार्थी का सही नाम शान्तिलाल पुत्र खीमसिंह राजपुरोहित के सम्बन्ध में परिवार राशन कार्ड, परिचय पत्र, आधार कार्ड, स्कूल दस्तावेज, पेन कार्ड एवं अन्य सरकारी व अन्य अर्द्वसरकारी दस्तावेजों का स्वप्रमाणित प्रतियां पेश कि जिसका का अवलोकन किया गया। जिसमे प्रार्थी का सही नाम शान्तिलाल पुत्र खीमसिंह राजपुरोहित है जबकि प्रार्थी आराजी मौजा सीतली में म्युटेशन व खतौनी में प्रार्थी का सम्पतसिंह पुत्र खीमसिंह दर्ज है।

उपरोक्त विवेचन के आधार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम सीतली के राजस्व रेकर्ड खेत खसरा संख्या 10 रकबा 4.07 बीघा, खसरा न. 15 रकबा 9.03 बीघा, खसरा न. 17 रकबा 4.16 बीघा, खसरा न. 18 रकबा 17.15 बीघा, खसरा न 20 रकबा 13.01 बीघा, खसरा न. 46 रकबा 6 बीघा, खसरा न. 63 रकबा 6.05 बीघा, खसरा न. 86 रकबा 6.10 बीघा, खसरा न 94 रकबा 4.07 बीघा, खसरा न. 96 रकबा 3.03 बीघा, खसरा न. 104 रकबा 4 बीघा, खसरा न 119 रकबा 6.17 बीघा, खसरा न 135 रकबा 6.10 बीघा, खसरा न.136 रकबा 4.03 बीघा, खसरा न. 137 रकबा 8.09 बीघा कुल रकबा 105.06 बीघा किस्म बा.अ. तथा खसरा नं. 39 रकबा 14.01 बीघा, खसरा न. 58 रकबा 26.03 बीघा व खसरा न 129 रकबा 5.14 बीघा किस्म में प्रार्थी की खातेदारी भूमि में अंकित नाम सम्पतसिंह पुत्र खीमसिंह के स्थान पर सम्पतसिंह उर्फ शान्तिलाल पुत्र खीमसिंह राजपुरोहित अंकित किये जाने के आदेश तहसीलदार पचपदरा को दिया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 19.2.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पत्रावली फैसल सुमार होकर के दाखिल दफतर हो

सहायक कलेक्टर (S.D.O.) बालोतरा

(रोहित कुमार)
सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

Scanned by CamScanner